IWMP
परिपत्र क्र 10

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

क्र. 2421/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2011 भोपाल, दिनांक 21/02/11

प्रति,

कलेक्टर,
मिशन लीडर – राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
जिला – समस्त

विषयःएकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme – IWMP) **के अंतर्गत गरीब ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन/विकास हेतु आय मूलक कार्यकलापों की आयोजना और कार्यान्वयन के संबंध में ।**

1 <u>पृष्ठभूमि</u> :–

1.1 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत निष्पादित होने वाले जलग्रहण विकास कार्यों का सीधा लाभ ऐसे ग्रामीणों को प्राप्त होता है जो भूस्वामी होते हैं। अतः जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत समानता (Equity) पर ध्यान देने के लिये गरीब ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन/विकास हेतु इनके स्वसहायता समूहों के माध्यम से विविध आय मूलक कार्यकलापों के कार्यान्वयन का प्रावधान पूर्व से ही रहा है। परंतु इन कार्यकलापों के कार्यान्वयन से लक्षित हितग्राहियों को अपेक्षा अनुरूप लाभ/परिणाम नहीं मिल सके हैं, जिसके कतिपय कारण रहे हैं परंतु इनमें से प्रमुख निम्नानुसार है :–

1.1.1 अल्प वित्तीय प्रावधान ।

1.1.2 असंगठित क्षेत्र के कार्यकलापों का चयन व कार्यान्वयन ।

1.1.3 जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों नामतः मृदा संरक्षण, जल संरक्षण व संवर्धन और वनस्पतिक आवरण के विकास के फलस्वरूप संरक्षित हुई मिट्टी व संवर्धित हुये पानी पर आधारित कार्यकलापों का चयन और कार्यान्वयन नहीं होना ।

1.1.4 चयनित कार्यकलापों के संदर्भ में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज की अपर्याप्त व्यवस्था। कार्यकलापों का एकल (Isolated) कार्यान्वयन

1.1.5 गठित किये गये स्वसहायता समूहों में क्रियाशीलता का अभाव ।

1.1.6 गठित किये गये स्वसहायता समूहों में पर्याप्त निपुणता नहीं होना तथा इस कमी को दूर करने के लिये समुचित क्षमतावर्धन भी नहीं करना।

1.2 पूर्वोक्त उल्लेखित कारणों को ध्यान में रखते हुये **''एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम''** में गरीब ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन/विकास हेतु इनके स्वसहायता समूहों के माध्यम से विविध आय मूलक कार्यकलापों के व्यवस्थित और परिणाम मूलक कार्यान्वयन को विशेष महत्व दिया गया है और इन कार्यों हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान भी किये गये हैं। अतः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं में लक्षित हितग्राहियों की आजीविका उन्नयन/ विकास हेतु आय मूलक कार्यकलापों की आयोजना और कार्यान्वयन के संबंध में यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं। कृपया यह निर्देश सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराएं।

2 **<u>लक्षित हितग्राही</u>** :–

2.1 स्वसहायता समूहों के माध्यम से आजीविका उन्नयन/विकास हेतु आय मूलक कार्यकलापों की आयोजना और कार्यान्वयन के लिये भूमिहीन/सम्पत्तिहीन गरीब, खेतीहर मजदूर/गरीब श्रमिक, लघु व सीमांत कृषक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के वयस्क ग्रामीण लक्षित हितग्राही होंगे। इस वर्ग के 1 परिवार से अधिकतम 1 वयस्क सदस्य ही किसी स्वसहायता समूह में शामिल हो सकेगा।

2.2 उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के प्रत्येक माइक्रोवाटर शेड में लक्षित हितग्राहियों के स्वसहायता समूह गठित कर इनमें से कम से कम 4–5 क्रियाशील स्वसहायता समूहों के लिये आय मूलक कार्यकलापों की आयोजना व कार्यान्वयन संभव हो सकता है। अतः प्रत्येक स्वसहायता समूह में 5 से 15 सदस्य शामिल किये जा सकते हैं।

2.3 सामान्यतः स्वसहायता समूह या तो केवल पुरूष या केवल महिलाओं के होंगे परंतु स्थानीय विशिष्टताओं और चयनित होने वाले कार्यकलाप के स्वरूप तथा आवश्यकताओं के दृष्टिगत मिश्रित समूह भी बनाये जा सकते हैं।

3 **<u>स्वसहायता समूह का गठन</u>** :–

3.1 प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के प्रत्येक माइक्रोवाटर शेड में हाउस होल्ड सर्वे तथा आर्थिक श्रेणीकरण के विषलेषण के आधार पर वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम द्वारा लक्षित हितग्राहियों का चयन किया जायेगा। **<u>लक्षित हितग्राहियों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।</u>** किसी भी स्थिति में ऐसे हितग्राही जो पूर्व से ही किसी अन्य सक्रिय एवं आय मूलक गतिविधि से सम्बद्ध स्वसहायता समूह के सदस्य हैं एवं

इस गतिविधि से पूर्व से समुचित लाभ प्राप्त कर रहे/कर चुके हैं, वे लक्षित हितग्राहियों के रूप में चयनित नहीं किये जायेंगे, ताकि अन्य तत्सम योजनाओं के हितग्राहियों की पुनरावृत्ति (Duplication) न हो।

3.2 वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम को चयनित लक्षित हितग्राहियों के साथ 2 से 3 प्रारंभिक बैठकें व सकेन्द्रित समूह चर्चायें आयोजित करना होंगी। इन बैठकों और चर्चाओं में हितग्राहियों को जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता, एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की अवधारणा, कार्यनीति व लिये जाने वाले जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य और आयमूलक कार्यकलाप, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत आजीविका उन्नयन/विकास हेतु स्थानीय संसाधनों अथवा जुटाए जा सकने वाले संसाधनों के आधार पर आय मूलक कार्यकलापों के कार्यान्वयन के अवसर व विकल्प, इन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु स्वसहायता समूह गठित कर कार्यान्वयन की प्रणाली, स्वसहायता समूहों के दायित्व इत्यादि पर जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। इन बैठकों और चर्चाओं के पश्चात् लक्षित हितग्राहियों में से ऐसे ग्रामीणजन जो आजीविका उन्नयन/विकास के लिये स्वसहायता समूह गठित कर एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत आय मूलक कार्यकलापों की आयोजना और कार्यान्वयन प्रणाली से सहमत हैं, को उपयुक्तता के आधार पर स्वसहायता समूह में संगठित किया जायेगा। उपयुक्ता का निर्धारण लक्षित हितग्राहियों की गरीबी के स्तर, उनमें आजीविका उन्नयन हेतु किसी कार्यकलाप को कार्यान्वित करने की इच्छाशक्ति और ऊर्जा के स्तर, उपलब्ध कौशल व निपुणता आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

3.3 प्रत्येक गठित स्वसहायता समूह द्वारा सदस्यों की सर्वसम्मति से समूह का नामकरण किया जायेगा एवं नेतृत्व हेतु पदाधिकारियों का चयन किया जायेगा। पदाधिकारियों के रूप में प्रत्येक समूह अपने अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का चयन करेगा। पदाधिकारी ऐसा सदस्य होना चाहिये जो समूह द्वारा निर्वाह किये जाने वाले दायित्व का व्यवहारिक ज्ञान रखता है तथा इन्हें निभाने में समक्ष हो। समूह के पदाधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी लिखित रूप में भी उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि इनका निर्वहन ठीक से कर सके।

4 आयमूलक कार्यकलापों की आयोजना एवं कार्यान्वयन प्रणाली :–

आयमूलक कार्यकलापों की आयोजना एवं कार्यान्वयन प्रणाली के घटक निम्नानुसार रहंगे :–

4.1 समूह संचालन की नियमावली –

4.1.1 प्रत्येक स्वसहायता समूह गठन के पश्चात् समूह के उचित संचालन हेतु नियमावली तैयार करेगा। वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम इस कार्य में समूहों को सहयोग करेगी। नियमावली समूह के सभी सदस्यों की परस्पर सहमति से तैयार की जावेगी एवं इसका दृढ़ता से पालन किया जावेगा। इस नियमावली में जिन विषयों पर नियम तय किये जायेंगे, उनका सांकेतिक विवरण **अनुलग्नक–1** पर दिया गया है। अनुलग्नक–1 में दर्शाये गये विषयों के अलावा अन्य विषय भी नियमावली में शामिल किये जा सकते हैं।

4.2 बचत एवं आंतरिक ऋण –

4.2.1 प्रत्येक गठित स्वसहायता समूह के सदस्यों को गठन पश्चात बिना किसी बाह्य वित्तीय सहयोग के स्वयं के वित्तीय संसाधनों से बचत कर सदस्यों को आंतरिक ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया का सतत् परिचालन करना होगा। आयमूलक कार्यकलापों के प्रारंभ होने पर स्वसहायता समूहों द्वारा इस कार्यकलाप से अर्जित होने वाले लाभांश की राशि से हुई बचत को भी आंतरिक ऋण प्रदाय की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। प्रत्येक गठित समूह बचत की राशि तथा सदस्यों को दिये गये ऋण की अदायगी की राशि अपने ग्राम में अथवा ग्राम में न होने पर समीपस्थ ग्राम के किसी राष्ट्रीकृत बैंक में बचत खाता खोलकर संधारित करेगा। वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम इस कार्य में समूहों को सहयोग करेगी।

4.3 समूहों की क्रियाशीलता के परीक्षण हेतु ग्रेडिंग –

4.3.1 वाटरशेड डेव्हलपमेंट टीम द्वारा प्रत्येक स्वसहायता के गठन के 6 माह पश्चात् अथवा जो भी समय उपयुक्त हो तब समूह की क्रियाशीलता एवं गुणवत्ता के परीक्षण हेतु स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना की मानदण्ड अनुसार ग्रेडिंग की जावेगी और इसके आधार पर समूहों को श्रेणीबद्ध किया जावेगा।

4.4 आयमूलक कार्यों हेतु समूहों की पात्रता/योग्यता का निर्धारण –

4.4.1 ऐसे क्रियाशील स्वसहायता समूह जो ग्रेडिंग उत्तीर्ण करेंगे, केवल वे ही पात्र/योग्य माने जायेगे एवं केवल इनके लिये ही आय मूलक कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। अन्य योजनाओं के तहत गठित ऐसे क्रियाशील स्वसहायता समूह जिनके सदस्य पैरा – 2.1 व 3.1 अनुसार लक्षित हितग्राही की श्रेणी में आते हैं, पैरा – 3.2 अनुसार एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की कार्यप्रणाली से सहमत है, पैरा – 4.2 अनुसार बचत व आंतरिक ऋण की प्रक्रिया का परिचालन कर रहे हैं और पैरा – 4.3 अनुसार ग्रेडिंग उत्तीर्ण कर सकते हैं, उन्हें भी एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र/योग्य माना जा सकता है।

4.5 संभावित आयमूलक कार्यकलापों का निर्धारण –

4.5.1 समूहों के गठन के पश्चात् तथा ग्रेडिंग होने के पूर्व की अवधि में वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम द्वारा वाटरशेड समितियो के सहयोग व समन्वय से आजीविका उन्नयन/विकास हेतु लिये जा सकने वाले आय मूलक कार्यकलापों का भी निर्धारण कर लिया जायेगा, जो कई कारकों पर आधारित होगा, जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार है :–

4.5.1.1 वर्तमान में गांव में अथवा समीपस्थ गांवों में कार्यान्वित आय मूलक कार्यकलाप और इनके परिणाम ।

4.5.1.2 वर्तमान में समूह के सदस्यों और गांव में उपलब्ध संसाधन तथा अधोसंरचनायें /परिसम्पत्तियां ।

4.5.1.3 अन्यंत्र से किये जाने वाले व्यवस्थापन से उपलब्ध हो सकने वाले संसाधन और अधोसंरचनायें/परिसम्पत्तियां ।

4.5.1.4 जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के फलस्वरूप सृजित होने वाले प्राकृतिक संसाधन और अधोंसंरचनायें/परिसम्पत्तियां ।

4.5.1.5 कार्यकलाप की लागत तथा इसकी पूर्ति हेतु परियोजना निधि और अन्य योजनाओं तथा बैंकों से हो सकने वाला वित्तीय नियोजन।

4.5.1.6 बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज।

4.5.1.7 कार्यकलाप की आर्थिक व्यवहारिकता ।

4.5.1.8 कार्यकलाप के कार्यान्वयन से जनित होने वाले उत्पाद के विक्रय और बाजार की संभावनायें व संलग्नता।

4.5.1.9 कार्यकलाप के कार्यान्वयन और उत्पाद के विक्रय से प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की मात्रा और सदस्यों में इसका वितरण।

4.5.1.10 संभावित आय मूलक कार्यकलापों की ग्राह्यता के सदर्भ में समूहों के सदस्यों का अभिमत।

4.5.1.11 समूह के सदस्यों की वर्तमान क्षमता व निपुणता (Skill), वांछित क्षमता व निपुणता (Skill) तथा क्षमता विकास कार्यकलापों के फलस्वरूप उनमें जनित हो सकने वाली अधिकतम क्षमता तथा निपुणता (Skill)

4.5.1.12 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत आयमूलक कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु परियोजना निधि से उपलब्ध हो सकने वाली राशि।

4.5.2 संभावित आयमूलक कार्यकलापों का विवरण **अनुलग्नक–2** पर दिया गया है।यह सूची केवल सांकेतिक है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ही उपयुक्त कार्यकलापों का निर्धारण किया जाये।

4.6 निर्धारित आयमूलक कार्यकलापों की आयोजना, वित्तीय नियोजन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में शामिल करना –

4.6.1 उपरोक्तानुसार आयमूलक कार्यकलापों का निर्धारण होने के पश्चात् इन कार्यकलापों की आयोजना वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम द्वारा तैयार की जायेगी। आयोजना तैयार करने के लिये सांकेतिक प्रारूप **अनुलग्नक–3** पर दिया गया है। आवश्यकता के अनुसार इस प्रारूप में संशोधन कर अपनाया जा सकता है। आयोजना तैयार होने के पश्चात् विभिन्न आय मूलक कार्यकलापों की मात्रा/संख्या, इनकी घटक गतिविधियों तथा कार्यान्वयन हेतु लागत का भी निर्धारण हो जायेगा।

4.6.2 आयमूलक कार्यकलापों की लागत का निर्धारण होने पर कार्यान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों का नियोजन वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम द्वारा वाटरशेड समितियो तथा ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत/अन्य शासकीय विभागों के सहयोग व समन्वय से किया जायेगा। प्रथमतः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन

कार्यक्रम की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना में उपलब्ध **''परियोजना निधि''** के **''आजीविका कार्यकलाप''** मद से नियोजन किया जायेगा। यह नियेाजन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये करना होगा कि प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड में यदि 4 – 5 क्रियाशील स्वसहायता समूह उपलब्ध होते हैं तो आय मूलक कार्यकलाप हेतु किसी भी एक स्वसहायता समूह को परियोजना निधि में से **''आजीविका कार्यकलाप''** मद के तहत आवश्यकता के अनुरूप औसतन ₹ 3.00 लाख तक की राशि **''परिक्रामी निधि''** के रूप में उपलब्ध हो सकेगी। कार्यकलाप की लागत की शेष राशि हेतु अन्य शासकीय योजनाओ जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लाईवलिहुड मिशन इत्यादि योजनाओं से भी अभिसरण कर अथवा बैकों से ऋण की व्यवस्था का वित्तीय संसाधन जुटाये जा सकते हैं। इस हेतु इन योजनाओं से संबंधित जिला/ विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय के नोडल अधिकारी और उनके सहयोगी अमले के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाये। संभावित अभिसरण हेतु ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभाग की प्रमुख योजनाओं के नाम **अनुलग्नक–4** पर दर्शाए गए है। इन योजनाओं के अतिरिक्त संबंधित विभागों से संपर्क कर अन्य योजनाओं से भी अभिसरण किया जा सकता है।

4.6.3 वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम द्वारा ऐसे आय मूलक कार्यकलाप जिनकी लागत की पूर्ति के लिए वित्तीय ससांधनों का नियोजन तय कर लिया गया है, उनकी आयोजना (वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सहित) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में शामिल किया जायेगा।

4.6.4 यह भी संभव है कि जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों फलस्वरूप सृजित होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर कतिपय आय मूलक कार्यकलापों का निर्धारण परियोजना अवधि के द्वितीय वर्ष में एवं इसके बाद भी हो। ऐसे आयमूलक कार्यकलापों को पूर्वोक्त अनुसार आयोजना तैयार कर तथा वित्तीय संसाधन का नियेाजन तय कर तत्संबंध में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर डी.पी.आर. में कालांतर में अनिवार्यतः शामिल करना होगा।

4.7 स्वसहायता समूह हेतु आयमूलक कार्यकलापों का चयन –

4.7.1 ऐसे पात्र स्वसहायता समूह जो ग्रेडिंग उर्त्तीण कर कर चुके है, वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम द्वारा उनके साथ विचार विमर्श कर तथा उनकी क्षमता एंव निपुणता का आकलन कर यह चयन कर लिया जायेगा कि डी.पी.आर. में शामिल आयमूलक कार्यकलापों में से किस समूह द्वारा कौन सा कार्य निष्पादित किया जायेगा।

4.8 वाटरशेड समिति के साथ अनुबंध –

4.8.1 ग्रेडिंग उत्तीर्ण ऐसे स्वसहायता समूह जिनके लिये पैरा–4.7 अनुसार आय मूलक कार्यकलाप का चयन हो चुका है, उस समूह को ''माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और समुदायिक संगठन आधारित संस्थागत व्यवस्था'' के संबंध में विभाग द्वारा जारी **परिपत्र क्रमांक–3** (जावक क्र. 5793/22/वि–9 दिनांक 03.05.10) के प्रावधानों और उसके साथ संलग्न अनुलग्नक–4 अनुसार वाटरशेड समिति के साथ समझौता अनुबंध करना होगा यह समझौता अनुबंध कार्यकलाप के शुरू होने के पूर्व तैयार कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया जायेगा और इसे कार्यकलाप के कार्यान्वयन लिए पूर्व शर्त के रूप में माना जाना जायेगा। वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम द्वारा इस कार्य में आवश्यक सहयोग एवं समन्वय प्रदान किया जायेगा।

4.9 कार्यकलाप का कार्यान्वयन –

4.9.1 अनुमोदित आय मूलक कार्यकलाप के कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित स्वसहायता समूह का होगा। प्रत्येक स्वसहायता समूह चयनित कार्यकलाप के संदर्भ में व्यवसायिक नियमावली तैयार करेगा और इसके अनुसार ही कार्यान्वयन करेगा। व्यवसायिक नियमावली में घटक अवयवों/आदानों व इनकी व्यवस्थाओं, वित्तीय प्रणाली/व्यवस्थाओं, प्राप्त होने वाले लाभों/लाभांश के वितरण, परिक्रामी निधि की राशि की अदायगी की व्यवस्था, विविध दायित्वों इत्यादि के प्रावधान शामिल किये जायेंगे। स्वसहायता समूहों द्वारा सदस्यों के साथ कार्यकलाप के कार्यान्वयन की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी। स्वसहायता समूह कार्यकलाप के कार्यान्वयन के दौरान भी नियमित अंतराल पर सदस्यों के साथ बैठकों का नियमित आयोजन करेंगे, जिसमें न केवल कार्यान्वयन की

प्रगति से जुड़े हुये विषयों पर चर्चा कर आगामी कार्यवाही हेतु निर्णय लिये जायेगे अपितु समूह के सदस्यों द्वारा की जा रही बचत एवं आंतरिक ऋण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की जायेगी और तत्संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्णय लिये जायेगे।

4.9.2 स्वसहायता समूहों के आय मूलक कार्यकलापों के संपूर्ण कार्यान्वयन में वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम और वाटशेड समिति आवश्यक सहयोग, सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वाटरशेड डेव्हलपमेन्ट टीम स्वसहायता समूह के निरन्तर सम्पर्क में रहेगी एवं कार्यकलाप के पूर्ण स्थापित होने एवं व्यवसाय के एक वित्तीय चक्र पूर्ण होने तक सभी आवश्यक कार्यों हेतु सहयोग (Hand Holding Support) एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

4.9.3 आय मूलक कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिये परियोजना में उपलब्ध **''परियोजना निधि''** के **''आजीविका कार्यकलाप''** मद की राशि जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा संबंधित वाटरशेड समितियों को जारी की जायेगी। वाटरशेड समिति द्वारा **''परियोजना निधि''** के **''आजीविका कार्यकलाप''** मद में प्राप्त राशि **''परिक्रामी निधि''** के रूप संधारित की जायेगी तथा आयमूलक कार्य के कार्यान्वयन हेतु इसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि स्वसहायता समूहों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा संबंधित वाटरशेड समितियों को **''आजीविका कार्यकलाप''** मद में राशि जारी करने, स्वसहायता समूह द्वारा राशि की मांग, वाटरशेड समिति द्वारा राशि जारी करने तथा स्वसहायता समूह द्वारा इसके उपयोग के संबंध में विभाग द्वारा जारी **परिपत्र क्रमांक–4** (जावक क. 12865/22/वि–9/आरजीएम दिनांक 20.09.10) में उल्लेखित प्रावधानों व समय–समय पर इसमें किये गये संशोधनों का ध्यान रखना होगा।

4.9.4 प्रत्येक आय मूलक कार्यकलाप हेतु किसी भी एक स्वसहायता समूह को वाटरशेड समिति द्वारा परिक्रामी निधि में से आवश्यकता के अनुरूप औसतन ₹ 3.00 लाख की राशि दी जा सकेगी। अतः पैरा–4.6.2 में उल्लेखित अनुसार तय किये गये वित्तीय नियोजन के अनुक्रम में चयनित कार्यकलाप की लागत की शेष धनराशि की व्यवस्था के लिये अन्य योजनाओं/बैंक से अभिसरण हेतु

वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम स्वसहायता समूह को सहयोग प्रदान करेगी। आय मूलक कार्यकलाप के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संपादित प्रयोजन/कार्य का मूल्यांकन वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के सदस्य द्वारा किया जायेगा और सत्यापन तथा होने वाले व्यय की स्वीकृति वाटरशेड समिति के अध्यक्ष व संबंधित वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के टीम लीडर करेंगे। तदोपरांत ही स्वसहायता समूह इन कार्यों हेतु परियोजना निधि की राशि का उपयोग/व्यय करेंगे।

4.9.5 चयनित कार्यकलाप के कार्यान्वयन एवं जनित उत्पाद के विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ से स्वसहायता समूह परिक्रामी निधि में से ली गई ऋण की राशि तथा इस पर ब्याज की राशि की अदायगी वाटरशेड समिति को करेंगे। परिक्रामी निधि में से ली गई ऋण की राशि की अदायगी की मात्रा/किश्तें, ब्याज की राशि की मात्रा और अदायगी के समय का निर्धारण चयनित आय मूलक कार्यकलाप के कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभ के आधार पर किया जा सकेगा। इस संबंध में आवश्यक नियम तय कर समूह की व्यवसायिक नियमावली में भी अनिवार्यतः शामिल कर लिये जाने चाहिये ताकि उत्तरकाल में किसी तरह का विवाद न हो। ब्याज की राशि का निर्धारण वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम व वाटरशेड समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। यह ब्याज दर किसी भी स्थिति में प्रचलित बाजार दर से ज्यादा नहीं होगी।

4.10 रिकार्ड एवं लेखा संधारण –

4.10.1 समूह संचालन व चयनित कार्यकलाप के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सुगमता और पारदर्शिता हेतु यह आवश्यक है कि समूह के स्तर पर आवश्यक रिकार्ड एवं लेखा का अनिवार्यतः संधारण किया जाये। समूह के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड व लेखा के प्रारूप (फार्मेट) स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अनुरूप ही अपनाये जा सकते हैं। प्रमुख रूप से संधारित किये जाने वाले रिकार्ड एवं लेखा का विवरण **अनुलग्नक – 5** पर दिया गया है।

4.11 समूह की क्षमता विकास –

स्वसहायता समूह न केवल समूह संचालन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत क्रियाशील रहे अपितु उसमें उद्यमिता का विकास हो, उसका कौशल उन्नयन हो और वह चयनित कार्यकलापों का सफल कार्यान्वयन कर आजीविका उन्नयन/विकास कर सके, इस हेतु समय–समय पर समूह के सदस्यों की क्षमता वर्धन भी करनी होगी। ततसंबंध में विभाग द्वारा जारी **परिपत्र – 09** (जावक क्र. 16425./22/वि–9/आरजीएम दिनांक 04.12.10) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4.12 आयमूलक कार्यकलापों का अनुश्रवण –

4.12.1 संबंधित वाटरशेड डेवलेपमेंट टीम तथा वाटरशेड समिति द्वारा स्वसहायता समूहों की क्रियाशीलता तथा इनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले आयमूलक कार्यकलापों की प्रगति और गुणवत्ता का प्रत्येक माह सतत् अनुश्रवण किया जायेगा। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा भी स्वसहायता समूहों के आयमूलक कार्यकलापों का अनुश्रवण नियमित अंतराल पर किया जायेगा। स्वसहायता समूहों की क्रियाशीलता तथा इनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले आयमूलक कार्यकलापों के अनुश्रवण हेतु प्रमुख बिन्दुओं की सांकेतिक सूची **अनुलग्नक–6** पर संलग्न है।

4.12.2 स्वसहायता समूह स्वयं भी निष्पादित कार्य का सदस्यों के साथ प्रत्येक माह अनुश्रवण करेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों के अनुरूप एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं के अंतर्गत लक्षित हिताग्राहियों की आजीविका उन्नयन/विकास हेतु आयमूलक कार्यकलापों की परिणाम मूलक आयोजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करायें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

हस्ता/–
(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 2422 / 22 / वि–9 / आरजीएम / आईडब्ल्यूएमपी / 2011 भोपाल, दिनांक 21 / 02 / 11

प्रतिलिपि :–

1. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **जिला पंचायत– समस्त** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता / –
(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक–1

स्वसहायता समूहों की नियमावली हेतु विषय

(1) समूह का नाम

(2) समूह का उद्देश्य

(3) समूह का कार्यक्षेत्र

(4) समूह का सदस्य बनने हेतु योग्यता

(5) सदस्यों की संख्या

(6) सदस्यों की आयु

(7) सदस्यता शुल्क

(8) सदस्यों द्वारा नियमित बचत की राशि का निर्धारण व स्वरूप तथा समयबद्धता

(9) बचत समय पर जमा नहीं करने पर जुर्माने की राशि

(10) समूह के पदाधिकारी एवं उनके दायित्व । इन पदाधिकारियें का कार्यकाल तथा नये पदाधिकारियें का चयन कितने समय में होगा।

(11) बैंक का नाम जहां बचत खाता खोला जाएगा

(12) बचत खाते का परिचालन कौन करेगा

(13) समूह की बैठक से संबंधित नियम (समयावधि कोरम इत्यादि)

(14) बैठक में न आने के लिए जुर्माना/दण्ड

(15) समूह की आंतरिक ऋण व्यवस्था (ऋण का प्रयोजन/कैसे प्रयोजनों हेतु ऋण को प्राथमिकता दी जाएगी, एक सदस्य को दी जा सकने वाली अधिकतम ऋण राशि, ऋण अदायगी की किश्तों, ऋण अदायगी में देरी पर जुर्माना आदि का निर्धारण)

(16) समूह द्वारा सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर

(17) सदस्यों द्वारा समय पर ऋण चुकता न करने के लिए निर्धारित दण्ड

(18) समूह के सदस्यों से अपेक्षित अनुशासनात्मक नियम

(19) सदस्यता समाप्त करने की स्थिति/कारण व कार्यविधि

(20) लाभांश के वितरण संबंधित नियम

(21) स्वयंसेवी संस्था अथवा सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य व्यक्ति से मदद लेने के मापदण्ड इत्यादि।

संभावित आयमूलक कार्यकलाप

जैव पालन व उनसे संबंधित व्यवसाय – गाय–भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बतख पालन, तीतर पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि।

वानस्पतिक उत्पाद आधारित व्यवसाय – नर्सरी निर्माण, उद्याानिकी फसलों का उत्पादन, वानकी–उद्यानिकी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, औषधीय फसलों का उत्पादन सब्जी उत्पादन, मलबरी से कोसा धागा उत्पादन, मशरूम उत्पादन, वनोपज संग्रह, प्रशोधन व विपणन, लाख उत्पादन, बांस व बैत के कार्य, चटाई निर्माण इत्यादि।

माइक्रोवाटरशेड में उपलब्ध शासकीय भूमि और सामुदायिक भूमि पर वानस्पतिक उत्पादन के कार्यकलाप से स्वसहायता समूहों को जोड़ना न केवल इन समूहों के सदस्यों के लिये धारणीय आजीविका हेतु उपयुक्त विकल्प है अपितु सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्रबंधन (Common Property Resources Management) के लिये भी मददगार होगा।

कृषि आधारित व्यवसास – बॉयोगैस संयत्र स्थापना इकाई, सीड ग्रेडिंग की इकाई, बीज एवं खाद भण्डारण की इकाई, बीज उत्पादन, जैविक खाद की इकाई, कृषि आधारित संयंत्रों के निर्माण/सुधार की इकाई, जैविक खाद्यान्न/अनाज उत्पादन व विपणन, कृषि क्षेत्र में सेवा कार्य जैसे दवा/कीटनाशक छिड़काव, बुआई, ड्रिप/स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई अनाज सफाई इत्यादि।

खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित – पापड़, अचार, जैम, जैली, मुरब्बा, चटनी, आलू चिप्स, सुपारी कटिंग, सुगंधित सुपारी निर्माण, मसाला निर्माण, फ्लोर मिल तथा सिवई निर्माण इत्यादि।

कपड़ा व तैयार वस्त्र पर आधारित उद्योग – सिलाई और सिली सिलाई पोषाकों तैयार करना, हैण्डलूम/हथकरघा आधारित वस्त्र एवं पोषाकों तैयार करना, चादर, तकिया कवर, तथा दरियां तैयार करना, होजरी वस्त्र, रूमाल तथा सर्जिकल बैंडेज इत्यादि।

यांत्रिक पर आधारित उद्योग – सोने/चांदी/पत्थर/सीपी/अन्य कृत्रिम सामग्रियों से आभूषण निर्माण, मशीन से बने दोने पत्तल निर्माण, तार/लोहे/धातु के स्क्रेप से निर्मित

होने वाली विभिन्न सामग्री जैसे ब्रश इत्यादि, पत्थरों से सजावट की वस्तुओं का निर्माण, भवन निर्माण के लिए पत्थर कटाई/नक्काशी, भवन निर्माण हेतु अल्प लागत (Low cost) सामग्री एवं फेरो सीमेंट से निर्मित होने वाली सामग्री का निर्माण, कागज से बनाई जा सकने वाली सामग्रियां जैसे फाइल कवर, फाइल पैड, हैण्ड मेड पेपर पैड, प्याले, तश्तरी, झोलें आदि का निर्माण, चर्म/खाल से संबधित कुटीर उद्योग, एल्मूनियम/पीतल/तांबा/कांसे के बर्तनों का निर्माण, इत्यादि।

अन्य क्षेत्र संबंधित व्यवसाय – टेन्ट हाउस, लाउड स्पीकर व ध्वनी प्रसारक प्रणालियां किराये से देना, हस्तशिल्प उद्योग, दुग्ध कलेक्शन सेन्टर, शहद उत्पादन, रस्सी निर्माण, शीशल के बैग निर्माण, टेराकोटा सामग्री निर्माण इत्यादि।

कौशल युक्त श्रम आधारित व्यवसाय – बढ़ईगिरी, लोहारी, नलसाजी, लकड़ी पर नक्काशी व कलात्मक फर्नीचर निर्माण, तार/लोहे की जाली, चौखट इत्यादि निर्माण, इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रोनिक उपकरणों जैसे रेडियों/मोबाइल/टीवी/कैसेट – सीडी प्लेयर/ मिक्सर इत्यादि की रिपेयरिंग/सुधार, मोटरवाइडिंग का कार्य, भवनों में बिजली वायरिंग का कार्य, इलेक्ट्रीशियन का कार्य, भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य जैसे मिस्त्री का कार्य, टाइल फिटिंग का कार्य, सेन्ट्रिंग का कार्य इत्यादि, वेलडिंग का कार्य, इंजन/पम्प सेटों की मरम्मत, साइकिल/मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि वाहनों की मरम्मत, कम्प्यूटर आधारित विभिन्न सेवाओं का प्रदाय जैसे ऑनलाइन रेलरिजर्वेशन, दस्तावेज टायपिंग इत्यादि।

अनुलग्नक–3

स्वसहायता समूहों हेतु आयमूलक कार्यकलाप की आयोजना के लिये प्रारूप

1. **चयनित कार्यकलाप का नाम एवं विवरण :** .....
   .....

2. **कार्यकलाप के** क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधन/परिसंपत्ति/अधोसंरचना/सामग्री/उपकरण (भू संबंधी गतिविधि हेतु भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में अंकित करें)

क्रमांक	उपलब्ध संसाधन/परिसंपत्ति/अधोसंरचना/सामग्री/उपकरण			
	नाम	संख्या/मात्रा	मूल्य/स्थान	स्वामित्व
1	2	3	4	5

3. **कार्यकलाप के** क्रियान्वयन हेतु वांछित/आवश्यक संसाधन/परिसंपत्ति/अधोसंरचना/सामग्री/उपकरण (भू संबंधी गतिविधि हेतु भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में अंकित करें)

क्रमांक	वांछित /आवश्यक संसाधन/परिसंपत्ति/अधोसंरचना/सामग्री/उपकरण			
	नाम	संख्या/मात्रा	लागत/स्थान	स्त्रोत/वित्तीय स्त्रोत
1	2	3	4	5
योग				

4. **कार्यकलाप के अंतर्गत उपयोगिता पर होने वाला व्यय : यथा विद्युत, किराया एवं अन्य**

क्रमांक	विवरण	लागत
1	2	3
योग		

टीप :– कुल वार्षिक व्यय .....

5. **कार्यकलाप के अंतर्गत अन्य व्ययों का प्रतिमाह विवरण : यथा संधारण, स्टेशनरी एवं अन्य**

क्रमांक	विवरण	लागत
1	2	3
योग		

टीप :– कुल वार्षिक व्यय .....

6. **कार्यकलाप के अंतर्गत कार्यशील पूँजी (प्रतिमाह) का व्यय : यथा कार्मचारी व्यय एवं अन्य**

क्रमांक	विवरण	लागत
1	2	3
योग		

टीप :– कुल वार्षिक व्यय .....

7. **कुल परियोजना लागत :**

क्रमांक	विवरण	लागत
1	2	3

8. **कार्यकलाप हेतु वित्तीय स्त्रोत के नियोजन का विवरण :**

क्रमांक	विवरण	राशि
1	2	3
	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना से	
	बैंक ऋण	
	अन्य शासकीय योजना से	
	अन्य गैर–शासकीय संगठन से अनुदान	
	समूह की व्यक्तिगत राशि	
	अन्य .	
	कुल	

9. **बाजार संलग्नता** – बाजार का विवरण जहां से कार्यकलाप हेतु आदानों और सामग्री इत्यादि का **क्रय** किया जाना है एवं **उत्पाद बेचा** जाना है तथां उसकी ग्राम से दूरी इत्यादि :–

.....

.....

10. **कार्यकलाप हेतु परिसम्पत्तियों का बीमा :**

क्रमांक	बीमा योग्य परिसम्पत्तियों का विवरण	बीमा कम्पनी का नाम	बीमा राशि प्रतिवर्ष/एकमुश्त	प्रस्तावित वित्तीय स्त्रोत
1	2	3	4	5
योग				

टीप :– कुल व्यय .....

11. **उत्पादन/कार्यकलाप पर प्रतिवर्ष होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण :**

क्र.	कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष		रिमार्क
			मात्रा	व्यय	मात्रा	व्यय	मात्रा	व्यय	मात्रा	व्यय	मात्रा	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	कुल योग :												

12. **उत्पादन/कार्यकलाप से प्रतिवर्ष होने वाली अनुमानित आय का विवरण :**

क्र.	विवरण	दर	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष		रिमार्क
			मात्रा	कुल आय	मात्रा	कुल आय	मात्रा	कुल आय	मात्रा	कुल आय	मात्रा	कुल आय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	कुल योग :												

13. **कैश फ्लो स्टेटमेंट (नगदी आवाजाही पत्रक) :**

क्रमांक	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
अ.	**केश इन फ्लो (नगद आवक)**					
योग						
ब.	**केश आउट फ्लो (नगद जावक)**					
योग						
स.	**नगद आधिक्य** (Gross Profit)					
द.	**सकल नगद आधिक्य** (Net Profit)					

14. सदस्यों के बीच लाभांश का वितरण :

क्र.	समूह को प्राप्त अनुमानित लाभ का विवरण
1	2

नोट : (कुल प्राप्त आय – परियोजना की कुल लागत = लाभांश)

15. प्रस्तावित क्षमता निर्माण की आवश्यकता – समूह संचालन और कार्यकलाप के संचालन हेतु समूह के सदस्यों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट आदि का विवरण दें :–

क्र.	क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट का विषय
1	2

नोट – <u>आयमूलक कार्यकलाप की आयोजना हेतु उपरोक्तानुसार प्रारूप में आवश्यकतानुरूप संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है।</u>

स्वसहायता समूह के आयमूलक कार्यकलापों के लिये वित्तीय नियोजन हेतु संभावित अभिसरण हेतु योजनाएं

क्र.	विभाग का नाम	योजनाओं का नाम
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
		एस.जी.एस.वाय., नेशनल रूरल लाईवलीहुड मिशन
		डी.पी.आई.पी., एम.पी.आर.एल.पी.
2	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
		राष्ट्रीय बायोगैस योजना
		विभिन्न फसलों के उत्पादन की योजनाएं, मिनिकिट योजनाएं
		नाडेप निर्माण संबंधी योजना
		आत्मा योजना
		बीज ग्राम योजना
3	उद्यानिकी	फल–पौधे रोपण पर अनुदान योजना
		उद्यानिकी मिशन
		केला प्रदर्शन योजना
		समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम
		पुष्प विकास कार्यक्रम
		मसाला विकास मिनकिट
		औषधीय एवं सुगंठित फसलें उत्पादन कार्यक्रम
		संकर मिर्च उत्पादन
		बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम
		मशरूम विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)
4	सहकारिता	वाहन ऋण योजना
		फसल बीमा
		किसान साख–पत्र (किसान क्रेडिट कार्ड योजना)
5	वन	लोक वानिकी
		औषधीय पौधों की खेती
		वनोपज संग्रह हेतु योजनाएं
6	ग्रामोद्योग	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं जैसे कारीगर प्रशिक्षण योजना, परिवार मूलक इकाई स्थापना, मार्जिन मनी योजना
		रेशम संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं
		हाथकरघा संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं
		हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की योजनाएं जैसे प्रशिक्षण योजना, उन्नत औजार उपकरण का प्रदाय योजना

क्र.	विभाग का नाम	योजनाओं का नाम
7	उद्योग	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
		दीनदयाल रोजगार योजना
		रानी दुर्गावती अनु.जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना
8	मत्स्य–पालन	मत्स्य–पालन प्रसार (राज्य आयोजना)
		मछुआ सहकारिता
		मत्स्य बीज उत्पादन
		मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा
9	ऊर्जा	राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम
		गौ–संवर्धन से स्वावलंबन परियोजना
10	अनुसूचित जाति जनजाति विकास	स्वरोजगार योजनाएं
		लघु एवं वित्त व्यवस्था (माइक्रो क्रेडिट स्कीम)
11	पशुपालन	विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम संकर जर्सी मादा वत्स पालन योजना
		अनुदान के आधार पर बकरों का प्रदाय
		अनुदान के आधार पर सुकर प्रदाय
		गौ–सेवक योजना
		ग्रामीण स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन
		मुक्त परिसर प्रणाली में कुक्कुट इकाई का वितरण
		नन्दी शाला योजना
		सहकारी डेयरी कार्यक्रम
		एकीकृत डेयरी विकास परियोजना
		तकनीकी आदान सेवायें
		एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना
		स्वच्छ दुग्ध उत्पादन
12	पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक कल्याण	बेरोजगार युवक–युवतियों के लिये रोजगार प्रशिक्षण
13	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	जैव उर्वरक
		बॉयो गैस
		मधुमक्खी पालन
14	नाबार्ड	कृषक क्लब
		कृषि बीमा
		फार्म मेकेनाइजेशन
		अनुदान आधारित अन्य योजनाएं
15	महिला एवं बाल विकास विभाग	नेशनल स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम
		स्वाधार योजना
		संगठनात्मक सहायता अनुदान
16	तकनीकी शिक्षा	रोजगारोमुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
		ग्रामीण इंजीनियर योजना

अनुलग्नक–5

स्वसहायता समूहों द्वारा संधारित किये जाने वाले रिकार्ड

1 समूहों की सदस्यता का रजिस्टर (नाम, पिता/पति का नाम, पता, आयु, लिंग, वर्तमान व्यवसाय / आजीविका का स्त्रोत, प्रतिमाह एवं प्रतिवर्ष आय, वर्तमान क्षमता व निपुणता/ कौशल इत्यादि)

2 बैठक की कार्यवृत्त पुस्तिका, जिसमें बैठक में उपस्थित सदस्यों, कार्यवाही विवरण, कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही इत्यादि का उल्लेख

3 बचत व ऋण रजिस्टर

4 बचत राशि की बैंक पासबुक

5 परिक्रामी निधि के संधारण हेतु बैंक पास बुक

6 अभिसरण के फलस्वरूप अन्य योजनाओं/स्त्रोतों से नियोजित किये गये वित्तीय संसाधनों का संपूर्ण रिकार्ड

7 अभिसरण हेतु अन्य योजनाओं/स्त्रोतों से नियोजित सुविधाओं /अन्य संसाधनों का रिकार्ड

8 परिक्रामी निधि की प्राप्ति व अदायगी का रजिस्टर

9 चयनित कार्यकलाप की आयोजना

10 चयनित कार्यकलाप के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों/अधोसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों/ सामग्री/आदानों की व्यवस्था का संपूर्ण रिकार्ड

11 चयनित कार्यकलाप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप जनित उत्पाद के बाजार में विक्रय हेतु बाजार संलग्नता तथा विक्रय संबंधी संपूर्ण रिकार्ड

12 लाभों के वितरण की प्रणाली

13 कार्यकलाप के कार्यान्वयन के संबंध में आय–व्यय का लेखा संबंधी संपूर्ण रिकार्ड यथा कैश बुक, लेजर, चैक रजिस्टर इत्यादि

14 लाभांश के वितरण संबंधी रिकार्ड

अनुलग्नक–6

स्वसहायता समूहों की कियाशीलता तथा इनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले आयमूलक कार्यकलापों के अनुश्रवण हेतु प्रमुख बिन्दु

1. समूह में सदस्यों की सदस्यता का स्थायित्व
2. समूह के सदस्यों का शैक्षणिक स्तर
3. समूह के नियमों एवं शर्तों के बारे में सदस्यों का ज्ञान
4. समूहों द्वारा की जाने वाली बैठकों की संख्या
5. बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति और बैठक की कार्यवाही में सदस्यों की सहभागिता ।
6. समूह के सदस्यों द्वारा बचत की प्रवृत्ति तथा बचत की राशि नियमित रूप से एकत्र करना।
7. समूह द्वारा आंतरिक ऋण और इसकी अदायगी की कार्यवाही का प्रचालन।
8. समूह के सदस्यों में वितरित ऋण पर सदस्यों द्वारा ब्याज की अदायगी।
9. समूह में इकट्ठी की गई बचत राशि का उपयोग
10. चयनित आयमूलक कार्यकलाप के घटक अवयवों के बारे में सदस्यों को जानकारी/ज्ञान ।
11. आयमूलक कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न आदानों/सामग्री/ अद्योसंरचना/परिसम्पत्ति की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था तथा इस हेतु नियमों का अनुपालन ।
12. आयमूलक कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु समूहों के सदस्यों की क्षमता और निपुणता । आयोजित क्षमता विकास कार्यकलापों के फलस्वरूप समूहों के सदस्यों की विकसित क्षमता और निपुणता ।
13. आयमूलक कार्यकलाप का समयबद्ध कार्यान्वयन और इसमें समूहों के सदस्यों की सहभागिता ।
14. आयमूलक कार्यकलाप के लिये प्रस्तावित वित्तीय नियोजन अनुसार वित्तीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था ।
15. कार्यकलाप के निष्पादन के फलस्वरूप उत्पादों का विक्रय एवं बाजार के साथ संलग्नता ।
16. प्राप्त लाभों एवं लाभांश का सदस्यों में वितरण ।
17. परिक्रामी निधि की वाटरशेड समिति को वापस अदायगी
18. शासन के अन्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संबंध में जानकारी
19. रिकार्ड एवं लेखा संबंधी अभिलेखों का संधारण